निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 वैशाख 1939 (श0)

(सं0 पटना 404) पटना, मंगलवार, 16 मई 2017

सं0 प्र0 2 वि01 08/2016—2260 खाद्य

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संकल्प

11 मई 2017

विषय :— बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 समय–समय पर यथासंशोधित के नियम 3 के उप नियम (1) में वर्णित प्रावधान के आलोक में राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण एवं जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्यों का क्रमशः रू0 — 40,000/— (चालीस हजार) एवं 30,000/— (तीस हजार) प्रतिमाह समेकित मानदेय की स्वीकृति।

बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली— 1987 समय–समय पर यथासंशोधित के नियम 3 के उप नियम (1) में वर्णित प्रावधान के आलोक में राज्य आयोग एवं जिला फोरम के सदस्यों को समुचित मानदेय की आदेयता के संबंध में भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, नई दिल्ली के अर्द्ध सरकारी पत्र दिनांक 09.04.2015, देश के उपभोक्ता फोरमों के कार्याकारणी के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के पत्रांक J-12/2/2016-CPU/SCASC दिनांक 14.10.2016 द्वारा दिये गये निदेश/अनुशंसा, माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा लोकहित याचिका संख्या–4273/2016 अनिल कुमार सिंह बनाम् भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 08.02.2017 को पारित आदेश एवं अनुवर्ती आदेश के अनुपालन के आलोक में राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण के सदस्यों को समेकित मानदेय रू0 40,000/— (चालीस हजार) एवं जिला उपभोक्ता फोरमों के सदस्यों को समेकित मानदेय रू0 30,000/— (तीस हजार) प्रतिमाह मानदेय की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रदान की गयी है।

2. राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण एवं जिला उपभोक्ता फोरमों के सदस्यों को संशोधित मानदेय संकल्प निर्गम की तिथि से देय होगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प का प्रकाशन बिहार राजपत्र के अगले अंक में किया जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

पंकज कुमार,

सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 404–571+200–**डी**0**टी**0**पी**0**।**

Website: http://egazette.bih.nic.in